अनुदान संख्या 105 – युवा मामले और खेल मंत्रालय
GRANT No. 105–MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	451,76,00		451,78,00	430,94,31	–20,83,69
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					17,31,42
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			14,24,00	1,61,49	–12,62,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					10,45,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2204" खेलकूद तथा युवा सेवाएं	Major Head "2204" Sports and Youth Services				
मू.	O.	35903.00	37320.83	37005.04	–315.79
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	1416.83			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	3861.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–3861.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	4679.00			
पू.	S.	1.00	5396.66	5387.94	–8.72
पु.	R.	716.66			

(I) 5100.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 4941.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of Rs.5100.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.4941.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2204" - "गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर" - 1080.00 लाख रु. स्कीम के संशोधनाधीन होने के कारण थे।

(A) Major Head "2204" – "Youth Welfare Programmes for non-students-National Reconstruction Corps"- Rs.1080.00 lakhs - due to the scheme being under revision.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान- 3861.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "2552" - "Other Expenditure- Provision for projects/schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim" - Rs.3861.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefits of North Eastern Areas and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2204" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन" -

(A) "Direction and Administration" -

(क) "राष्ट्रीय सेवा स्कीम" - 125.65 लाख रु. की बचत (495.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रोक लगी होने की वजह से रिक्त पदों को न भरे जाने और वाहनों की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(a) "National Service Scheme" - saving of Rs.125.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.495.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-purchase of vehicles owing to ban.

(ख) "राष्ट्रीय युवा आयोग" - 118.94 लाख रु. की बचत (188.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय युवा आयोग को समय से पहले सितम्बर, 2004

(b) "National Commission for Youth"- saving of Rs.118.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.188.00 lakhs) was due to early winding up of the National

में बंद कर दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''शारीरिक शिक्षा - लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर'' - 150.00 लाख रु. की बचत (1050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ तकनीकी कारण की वजह से संस्थान द्वारा कुछ अनुमोदित कार्य शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक स्कीम'' - 192.18 लाख रु. की बचत (540.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान स्वयंसेवकों की कम तैनाती किए जाने के कारण हुई।

(घा) ''खेलकूद और खेल'' -

(क) ''राष्ट्रीय खेलकूद संघों को सहायता'' - 144.08 लाख रु. की बचत (5031.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं कम आयोजित होने की वजह से विदेशों में प्रदर्शन के लिए टीमों/खिलाड़ियों को कम संख्या में अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''कृत्रिम सतहों की आपूर्ति और प्रतिष्ठापन के लिए सहायता की स्कीम'' - 550.00 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न प्रस्तावों में तकनीकी शर्तें पूरी न किए जाने की वजह से कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''मादक औषध (डोप) परीक्षण के लिए स्कीम'' - 275.00 लाख रु. की बचत (720.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मादक औषध केंद्र को अद्यतन बनाने संबंधी प्रक्रिया के पूरी न होने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 76.63 लाख रु. की बचत हुई जो स्कीकृत प्रावधान का 77 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (3250.29 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2005 में 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

Commission for Youth in the month of September, 2004.

(B) "Physical Educaion - Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior" - saving of Rs.150.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1050.00 lakhs) was due to non-taking up of some of the approved work by the Institute owing to some technical reason.

(C) "Youth Welfare Programmes for non-students - National Service Volunteers Scheme"- saving of Rs.192.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.540.00 lakhs) was due to deployment of less volunteers during the year.

(D) "Sports and Games"-

(a) "Assistance to National Sports Federations"- saving of Rs.144.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5031.00 lakhs) was due to less number of teams/players approved for foreign exposure owing to less international competitions during the year.

(b) "Scheme of support for supply and installation of Synthetic Surfaces" - saving of Rs.550.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to less release of funds owing to non-fulfillment of technical conditions in various proposals.

(c) "Scheme for Dope Test"- saving of Rs.275.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.720.00 lakhs) was due to non-completion of the procedure for updating the Dope Centre.

(III) Under one head saving of Rs.76.63 lakhs occurred constituting 77 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.3250.29 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs in March, 2005 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2204'' -

(क) ''गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम'' -

(i) ''राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम'' - 324.22 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 273.01 लाख रु. था।

(ii) मूल्यांकन सहित युवा और खेलकूद क्लब'' - 284.70 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 246.45 लाख रु. था।

(ख) ''खेलकूद और खेल'' - खेलकूद कार्यकलापों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन'' - 1862.67 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम'' - 778.70 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 772.34 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2204'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - नेहरू युवा केंद्र संगठन'' - 555.00 लाख रु. का अधिक व्यय (4351.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(का) ''खेलकूद और खेल'' -

(क) ''भारतीय खेल प्राधिकरण'' - 734.00 लाख रु. का अधिक व्यय (14489.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्ष के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में स्कीमों को लागू करने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों और खेलकूद के लिए अनुदानों की स्कीम'' - 266.12 लाख रु. का अधिक व्यय (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में स्कीमों को लागू करने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और

(A) Major Head "2204" -

(a) "Youth Welfare Programmes for non-students" -

(i) "National Integration Programmes"- Rs.324.22 lakhs. Actual excess, however, was Rs.273.01 lakhs.

(ii) "Youth and Sports Clubs including of evaluation"- Rs.284.70 lakhs. Actual excess, however, was Rs.246.45 lakhs.

(b) "Sports and Games- Incentives for promotion of Sports Activites"- Rs.1862.67 lakhs.

(B) Major Head "3601"- "Grants for Central Plan Schemes- Sports and Youth Services-Youth Welfare Programmes for Students - National Service Scheme"- Rs.778.70 lakhs. Actual excess, however, was Rs.772.34 lakhs.

(II) The savings were also offset by excess under Major Head "2204" - under the following heads:-

(A) "Direction and Administration- Nehru Yuva Kendra Sangathan"- excess of Rs.555.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4351.00 lakhs); and

(B) "Sports and Games"-

(a) "Sports Authority of India" - excess of Rs.734.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14489.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for implementation of the schemes in North Eastern Areas and Sikkim.

(b) "Scheme of grants for games and sports in Universities and Colleges"- excess of Rs. 266.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for implementation of the schemes in North Eastern Areas and Sikkim and on account

विश्वविद्यालयों एवं कालेजों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

of receipt of more proposals from Universities and Colleges.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture				
मू.	O.	1285.00	379.00	161.49	–217.51
पु.	R.	–906.00			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	139.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–139.00			

(I) 1184.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1181.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "4202" - "खेलकूद और युवा सेवाएं - अन्य व्यय" -

(क) "राष्ट्रीय/राज्य युवा केंद्रों की स्थापना" - 440.00 लाख रु. स्कीम तैयार न किए जाने के कारण थे।

(ख) "राज्य खेलकूद अकादमी" - 602.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(खा) "मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान"- 139.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के संबंधित विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग

(I) Provision of Rs. 1184.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.1181.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4202"- "Sports and Youth Services - Other Expenditure"-

(a) "Establishment of National/State Youth Centres"- Rs.440.00 lakhs- due to non-formulation of the scheme.

(b) "State Sports Academy"- Rs.602.00 lakhs- due to non- finalisation of the scheme.

(B) "Major Head "4552" - "Other Expenditure- Provision for projects/schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim"- Rs.139.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on various

के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 78.51 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत थी।

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under one head saving of Rs.78.51 lakhs occurred constituting 33 percent of the sanctioned provision.